

Gcms-2020/00221





# आयालय उप जिला कलक्टर टोंडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 117 /2020

तारीखरजु:- 19.10.2020

उनवान:- छोट्ट बनाम श्रवण वगै०

दावा वावत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
10/2020	<p>वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा वावत खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोंडामीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोंडामीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 19.11.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (दुर्गा प्रसाद मीना)                      उप जिला कलक्टर                      टोंडामीम जिला करौली                 </p>
19/11/20	<p>वादी वकील उपो/ प्रतिवादी नं: 1,2,3 की ओर से श्री मरोज कुमार शर्मा ADV ने वकालतनामा पेश किया। श्री राममरोही गुवा ADV ने प्रतिवादी नं: 68 का वकालतनामा व जबाब पेश किया। जबाब की प्रति वादी वकील को दिलवाई। प्रतिवादी नं: 5 से 12, 23, 24, 26, 38, 40, 47 की ओर से श्री हरकेश मीना ADV ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं: 13 से 22, 25, 27 से 37, 39, 41 से 46, 48 से 61, 66, 67, 69 से 71 कावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए है उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं: 4, 62 से 65 के सम्मन आदेश तामील से प्राप्त हुए है। इसकी पुनः तलबी कराने व जबाब पेश करने दिनांक 23/12/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
23/12/20	<p>तकुलार उपो/ पुनः तलबी करने व प्रयास पेश करने के लिए सप्त पाद्य जय। सप्त दिया जय दिनांक 9.2.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
9.2.21	<p>वकुलार उपो/ तलवाना एवं जबाब पेश करने दिनांक 17.3.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>

5520-90  
19.10.2020



# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम	न्यायालय
27-2-25	<p>नादी वकील/वकील समय पक्ष उपस्थित                      पेशवाजी अधिकारी श्री 2. मनीश कुमार शर्मा जी पच्योटे /                      पेशवाजी मतानुसार दिनांक 27-2-25 को पेश हो।</p>	क
26/3/25	<p>पेशवाजी पेश हुई। उभयपक्षकारण व उसके वकील                      को उपस्थित, न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारण को तथा                      इनके शिष्टीकरणों को बार-बार जांच दिए जाने                      पर भी को उपस्थित न्यायालय रहने से बाद                      में का दावा खारज घोषणा करने वाली व स्थानी                      विधेयों को दम होने को दम देने के खारिज किया                      जाता है।                      निर्णय आज दिनांक 26/3/25 को खुले न्यायालय                      के लिखाया जाकर सुनाया गया।                      पेशवाजी फाइल नुसार नम्बर से का को                      दाखिल करार है।</p>	